लाला राम

बनाम

राजस्थान राज्य

20 जून 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, जे.जे.]

*भारतीय दंड संहिता, 1860:*

*धारा 34 - प्रयोज्यता - निर्णीत: तब भी लागू जब किसी विशेष अभियुक्त द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो - अभियुक्त की ओर से किसी स्पष्ट कृत्य को दिखाना आवश्यक नहीं है।*

*धारा 302 सपठित धारा 34 - हत्या - अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक ने जब मृतक हांफते हुए सांस ले रहा था तब पानी दिया और तब मृतक ने उसे घटना और हमलावरों के बारे में बताया - निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - निर्णीत: गवाह की साक्ष्य सुसंगत - अतः दोषसिद्धि उचित है।*

*साक्ष्य:*

*रिश्तेदार की साक्ष्य - निर्णीत: कानून में ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि रिश्तेदार को असत्य गवाह माना जाए।*

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक पर व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण अपीलकर्ताओं सहित व्यक्तियों के एक समूह द्वारा हमला किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पी.डब्ल्यू-3 और 4 के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता और अन्य को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि पी.डब्ल्यू -3 का साक्ष्य प्रासंगिक था क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा था जिसने मृतक व्यक्तियों को घायल अवस्था में देखा था जब वे सांस लेते समय हांफ रहे थे और उन्हें पानी दिया था। पी.डब्ल्यू -4 मृतक व्यक्तियों से संबंधित था और इसलिए न्यायालय ने उसके साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया और उसे विश्वसनीय पाया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 34 आईपीसी लागू नहीं होती है; कि पी.डब्ल्यू -3 और 4 की साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पी.डब्ल्यू -4 मृतक से संबंधित था और कोई कारण नहीं था कि मृतक पी.डब्ल्यू -3 को हमलावरों के बारे में कोई खुलासा क्यों करेगा।

न्यायालय ने अपील को खारिज किया,

अभिनिर्धारित: 1.1. धारा 34 को एक आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और कोई मूल अपराध नहीं बनाती है। धारा का

विशेष गुण कार्य करने में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान किसी अन्य द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने के लिए सामान्य आशय से उस सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए इस तरह के आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सामान्य आशय का आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि सभी आरोपी व्यक्तियों की उस अपराध को करने के लिए योजना या मस्तिष्क मिलन था जिसके लिए उन पर धारा 34 का आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-नियोजित हो या क्षण भर की प्रेरणा से; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के किए जाने से पहले होना चाहिए। [पैरा 7] [1099-डी-एफ]

1.2. किसी अपराध में भाग लेने वालों के मध्य सामान्य आशय का होना इस धारा के लागू होने के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के लगाए गए आरोप में कई व्यक्तियों के कार्य वही या एकदम समान हों। कार्य प्रकृति में भिन्न हो

सकते हैं, लेकिन अपराध को आकर्षित करने के लिए एक ही सामान्य आशय से प्रेरित होना चाहिए। [पैरा 7] [1099-जी-एच: 1100 ए]

*अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य*, एआईआर (1977) एससी 109, पर भरोसा किया गया।

*महबूब शाह बनाम एम्परर*, एआईआर (1945) प्रिवी काउंसिल 118, संदर्भित।

1.3. धारा 'सभी के सामान्य आशय' की बात नहीं करती है, न ही यह 'सभी के लिए सामान्य आशय' की बात करती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत, दायित्व का सार एक सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाता है, जो अभियुक्तों को आपस में जोड़ता है जिन्होंने ऐसे आशय की पूर्ति के लिए एक आपराधिक कृत्य किया है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका अर्थ है कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि यह कृत्य उसके द्वारा ही किया गया हो। प्रावधान का उद्देश्य एक ऐसे मामले को पूर्ण करना है जिसमें एक समूह के अलग-अलग सदस्यों के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जो सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कार्य करते हैं या यह साबित करने के लिए कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या भाग

लिया था। धारा 34 तब भी लागू होती है जब स्वयं किसी विशेष अभियुक्त द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो। धारा 34 को लागू करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी स्पष्ट कृत्य को दिखाना आवश्यक नहीं है। यदि उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य को ऊपर निर्धारित कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में माना जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 34 को सही ढंग से लागू किया गया है। [पैरा 10 और 12] [1100-सी-ई, जी]

2. कानून में ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि रिश्तेदार को असत्य गवाह माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो यह दिखाने के लिए कारण दिखाना पड़ता है कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को झूठा फंसाने का कारण था। इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। जहां तक पी.डब्ल्यू 3 का संबंध है, वह व्यक्ति था जिसने मृतक को सांस लेने के लिए हांफते समय पानी दिया था और उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और पता लगाने की कोशिश की थी कि चोटें कैसे लगी थीं। मृतक व्यक्तियों ने गवाह को बताया कि उनकी पीरजी के मंदिर के पास सड़क पर पिटाई की गई थी। उन्हें यह भी बताया गया कि हमलावर कौन थे। इस दृष्टि से मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय और दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। पैरा 6 और 13(1099 सी; 1100-एच; 1101-ए)

*च पुला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर* (1993) एससी 1899; *अनिल शर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य,* (2004)5 एससीसी 679; *हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य*, (2005) 9 एससीसी 195 *और अमित सिंह भिकमसिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य,* (2007) 2 एससीसी 310, पर निर्भर।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1116/2006.

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के आपराधिक अपील संख्या 499/2001 में निर्णय और आदेश दिनांक 1.12.2005 से।

शकील अहमद (एससीएलएससी) और अर्ना दास अपीलार्थी के लिए।

वी. मधुकर, सुमीत घोष, संजय झा और अरुणेश्वर गुप्ता रेस्पोंडेंट के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजित पसायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष तीन अपीलकर्ताओं जिनमें एक गिलूडा था, का भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमे का विचारण हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की एक खंडपीठ ने गिलूडा

को बरी करने का निर्देश दिया और अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखा। उनमें से प्रत्येक को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफआईआर') में 23 व्यक्तियों को नामित किया गया था, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने उनमें से सात के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं सहित तीन अन्य लोगों जिनके नाम बाबू राम, रघुवीर और कैलाश हैं के साथ, मुकदमे का विचारण हुआ। उक्त बाबू राम, रघुवीर और कैलाश को निचले न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। प्रत्येक अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,000/- रुपये का जुर्माना जमा कराने का आदेश दिया गया, जुर्माना देने में चूक की स्थिति में सजा का प्रावधान था। केवल वर्तमान अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य निम्नानुसार हैं:

1 अप्रैल 2000 को शाम 4.30 बजे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफआईआर') मृतक प्रभु और रघुवीर के भाई भोणर सिंह द्वारा उसी दिन शाम 7.30 बजे दर्ज कराई गई थी। यह एक लिखित रिपोर्ट थी जिसके आधार पर औपचारिक एफआईआर अस्तित्व में आई। भोणर सिंह ने अपनी दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा कि 1 अप्रैल 2000 को शाम

4 से 5 बजे के बीच, उनके भाई प्रभु और रघुवीर एक मामले की सुनवाई में भाग लेने के बाद थानागाजी से वापस आ रहे थे। जब वे मंडावरा से तालवृक्ष की ओर जा रहे थे, तो गाँव के बाहर, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, गिरधारी पुत्र डोला राम रेबारी, हनुमान, लाला और उनके छोटे भाई के पुत्र, गिरधारी रेबारी की पत्नी तुलसा, हरदेवा, गिलूड़ा, गोपाल, हरदेवा के पुत्र शिम्भू, हरदेवा की पत्नी संती और स्वयं हरदेवा, रामजीलाल, मनाराम, पांचा, बोरा जाट के पुत्र यादा, प्रभु, शंकर के पुत्र महाराम और गिरधारी रेबारी के रिश्तेदार जिनके नाम वह नहीं जानता था, धोली पत्नी सुंदा राम, सुंदाराम और उनके चार बेटों ने लाठी, फर्सी, जैल आदि से प्रभु और रघुवीर को पीटना शुरू कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। घटनास्थल पर, घटना के प्रत्यक्षदर्शी रणवीर, दिलीप सिंह का पुत्र, हनुमान, गंगाराम का पुत्र, गिरवर सिंह, मुखराम सिंह का पुत्र, भीमा, मुखराम का पुत्र, हरिनारायण गुर्जर और रामनिवास, फूला गुर्जर के पुत्र थे। वह तालवृक्ष में स्नान कर रहा था जब घटना हुई थी। उन्हें इस घटना के बारे में सुगला धनकर ने बताया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उपरोक्त व्यक्तियों ने उनके भाइयों को पीटा था। वह फिर सीधे शिकायत दर्ज करने गए।

3. जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताया।

4. पी.डब्ल्यू 3 और 4 के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए निचले न्यायालय ने अपीलकर्ता और अन्य को दोषी ठहराया, जबकि गिलूडा को दोषमुक्त किया। यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि पी.डब्ल्यू 3 को मृतक व्यक्तियों ने मृत्यु से पूर्व मृत्युकालिक कथन किया था जबकि पी.डब्ल्यू 4 को प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि पी.डब्ल्यू -3 का साक्ष्य प्रासंगिक था क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा था जिसने मृतक व्यक्तियों को घायल अवस्था में देखा था जब वे सांस लेते समय हांफ रहे थे और उन्हें पानी दिया था। पी.डब्ल्यू -4 मृतक व्यक्तियों से संबंधित था और इसलिए न्यायालय ने उसके साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया और उसे विश्वसनीय पाया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पी.डब्ल्यू 3 और 4 की साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस नहीं कहा जा सकता है। पी.डब्ल्यू -4 मृतक से संबंधित था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि मृतक पी.डब्ल्यू -3 को हमलावरों के बारे में कोई खुलासा क्यों करेगा। इसके अलावा, धारा 34 लागू नहीं होती है। राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया।

6. कानून में ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि रिश्तेदार को असत्य गवाह माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो यह दिखाने के लिए कारण दिखाना पड़ता है कि गवाहों के पास

वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को झूठा फंसाने का कारण था। इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. धारा 34 को एक आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और कोई मूल अपराध नहीं बनाती है। धारा का विशेष गुण कार्य करने में भागीदारी का तत्व है।

कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान किसी अन्य द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने के लिए सामान्य आशय से उस सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए इस तरह के आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सामान्य आशय का आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि सभी आरोपी व्यक्तियों की उस अपराध को करने के लिए योजना या मस्तिष्क मिलन था जिसके लिए उन पर धारा 34 का आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-नियोजित हो या क्षण भर की प्रेरणा से; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के किए जाने से पहले होना चाहिए। धारा का वास्तविक तत्व

यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से किसी कार्य को करते हैं, तो कानून में स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया है। जैसा कि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1977) एससी 109 में कहा गया है, इस धारा के लागू होने के लिए अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य आशय का अस्तित्व आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के लगाए गए आरोप में कई व्यक्तियों के कार्य वही या एकदम समान हों। कार्य प्रकृति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अपराध को आकर्षित करने के लिए एक ही सामान्य आशय से प्रेरित होना चाहिए।

8. मूल रूप से, धारा 34 निम्नलिखित शब्दों में थी:

> “जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्त्यिों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्त्यिों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।”

9. 1870 में, धारा 34 में शब्द "सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में" को शब्द "व्यक्तियों" के बाद और शब्द "प्रत्येक" से पहले सम्मिलित करके संशोधित किया गया, ताकि धारा 34 के उद्देश्य को स्पष्ट

किया जा सके। इस स्थिति को महबूब शाह बनाम सम्राट, एआईआर (1945) प्रिवी काउंसिल 118 में निर्धारित किया गया था।

10. धारा 'सभी के सामान्य आशय' की बात नहीं करती है, न ही यह 'सभी के लिए सामान्य आशय' की बात करती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत, दायित्व का सार एक सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाता है, जो अभियुक्तों को आपस में जोड़ता है जिन्होंने ऐसे आशय की पूर्ति के लिए एक आपराधिक कृत्य किया है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका अर्थ है कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि यह कृत्य उसके द्वारा ही किया गया हो। प्रावधान का उद्देश्य एक ऐसे मामले को पूर्ण करना है जिसमें एक समूह के अलग-अलग सदस्यों के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जो सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कार्य करते हैं या यह साबित करने के लिए कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या भाग लिया था। जैसा कि च. पुल्ला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर (1993) एससी 1899 में कहा गया था, धारा 34 तब भी लागू होती है जब खुद विशेष आरोपी द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है। धारा

34 को लागू करने के लिए आरोपी की ओर से कोई स्पष्ट कार्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त स्थिति को हाल ही में अनिल शर्मा और अन्य बनाम झारखंड राज्य, [2004] 5 एससीसी 679, हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य, [2005] 9 एससीसी 195 और अमित सिंह भिकमसिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2007] 2 एससीसी 310 में उजागर किया गया था।

12.यदि उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य को ऊपर निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में माना जाए,तो अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 34 को सही तरीके से लागू किया गया है।

13. जहां तक पी.डब्ल्यू 3 का संबंध है, जो वह व्यक्ति था जिसने मृतक को सांस लेने के लिए हांफते समय पानी दिया था और उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और पता लगाने की कोशिश की थी कि चोटें कैसे लगी थीं। मृतक व्यक्तियों ने गवाह को बताया कि उनकी पीरजी के मंदिर के पास सड़क पर पिटाई की गई थी। उन्हें यह भी बताया गया कि हमलावर कौन थे। इस दृष्टि से मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय और दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

14. हम, विद्वान एमिकस क्यूरी श्री शकील अहमद की उनके द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई सहायता के लिए प्रशंसा करते हैं।

15. अपील खारिज की जाती है।

डी.जी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष कुमार वैष्णव, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।